सत्र प्रकरण का निर्णय का शीर्षक

प्रपत्र–क

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया **व्यवहार न्यायालय, गया**	
उपस्थित	**शशि कांत ओझा** **अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया ।**
निर्णय की तिथि	**29.04.2026**
सत्र प्रकरण सं0	**627 / 2023**
जी0 आर0 नम्बर	432 / 2019
गुरारू थाना कांड सं0	8 / 2019
सूचक	राज्य सरकार द्वारा सूचक रवि कुमार
अभियोजन की तरफ से	श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता
अभियुक्त गण का नाम	1. भीम पासवान, पिता– देवनाथ पासवान, ग्राम– बारा, गुरारू, थाना– गुरारू, जिला–गया।
सभी अभियुक्तगण की तरफ से	1. श्री नन्दकिशोर शर्मा एवं श्री रविरंजन कुमार, अधिवक्ता

प्रपत्र–ख

घटना की तिथि	24.01.2019
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	24.01.2019, धारा– 341, 323, 307 एवं 506 भा0 द0 वि0।
आरोप–पत्र समर्पित करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	06.11.2019, धारा– 341, 323, 307 एवं 506 भा0 द0 वि0।
संज्ञान लेने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	15.11.2019, धारा– 341, 323, 307 एवं 506 भा0 द0 वि0।
आरोप गठण करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	24.07.2023, धारा– 307 एवं 506 भा0 द0 वि0।
प्रथम गवाह प्रस्तुत करने की तिथि	13.04.2026
बयान दर्ज करने की तिथि	22.04.2026
निर्णय हेतु रखने की तिथि	29.04.2026
निर्णय की तिथि	**29.04.2026**
सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि	N.A.

अभियुक्त का विवरण

क्र0 सं0	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफतारी एवं आत्मसमर्पण की तिथि**	**जमानत पर मुक्ति की तिथि**	**जिन अपराधों का आरोप बनाया गया**	**चाहे दोषमुक्त हो या दोषी**	**सजा सुनाई गई**	**धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौराण निर्धारण की अवधि**
01.	**भीम पासवान**	**25.01.2019**	**29.01.2019**	**धारा– 307 एवं 506 भा0 द0 वि0।**	**दोषमुक्त**	**N.A.**	**N.A.**

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त भीम पासवान प्रस्तुत प्रकरण में धारा– 307 एवं 506 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक, रवि कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2019 समय संध्या के 05:45 बजे सूचक मनोज मछली दुकान पर मछली भुंजवाने के लिए गये थे। उसी बीच भीम पासवान, ग्राम–बारा गुरारू के निवासी जो शराब पिये हुये नसे में थे आये और सूचक के साथ मारपिट शुरू कर दिया तो मनोज मछली दुकान के पास बाजार के बहुत से लोग मौजुद होकर इनकी जान बचाई। मारपिट में सूचक के ऑख के पास काफी चोट लगी थी और छिल गया था।

3. सूचक के आवेदन के आधार पर गया गुरारू थाना कांड संख्या–8/2019, दिनांक 24.01.2019 अन्तर्गत धारा– 341, 323, 307 एवं 506 भा0 द0 वि0 अभियुक्त भीम पासवान के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत इस प्रकरण के अभियुक्त भीम पासवान के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप–पत्र संख्या – 231/2019, दिनांक 06.11.2019, अन्तर्गत धारा– 341, 323, 307 एवं 506 भा0 द0 वि0 में समर्पित किया गया। तत्पश्चात् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया द्वारा दिनांक 15.11.2019 को उपरोक्त आरोप–पत्रित अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा तत्पश्चात् दिनांक–17.05.2023 को मामले को अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, गया के न्यायालय में दौरा–सुपुर्द किया गया।

5. दिनांक 24.07.2023 को अभियुक्त भीम पासवान के विरूद्ध धारा– 307 एवं 506 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं आरोप की विशिष्टियों को अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसपर अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं वाद विचारण का दावा किया।

6. विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकरण का अभिलेख दिनांक–16.06.2023 को इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

7. दिनांक 22.04.2026 को अभियुक्त भीम पासवान का धारा – 313 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं कथन किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फॅसाया गया है।

8. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के भीम पासवान के विरूद्ध गठित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही?

<u>मन्तव्य</u>

9. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 05 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध कराया गया है जो कि निम्नांकित हैं : –

अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– रवि उर्फ रवि नन्दन कुमार (सूचक)

अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– अनिल चन्द्रबंशी उर्फ अनिल कुमार वर्मा

अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– मनोज चौधरी

अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– संजय चौधरी

अभियोजन साक्षी संख्या – 5 :– अजीत शर्मा

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गये दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं:–

प्रदर्श–1– आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध नहीं कराया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– रवि उर्फ रवि नन्दन कुमार**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि यह मुकदमा इन्होने हीं किया है और घटना सात साल पहले करीब 05–06 बजे शाम की है। उस दिन ये मछली भुंजवाने घर से निकल रहे थे तो अभियुक्त भीम पासवान इनसे टकरा गये और हल्का बहस एवं हाथपाई हो गया परन्तु चोट नहीं लगी थी। ये सारी बात लिखवाकर थाने में दिया था और दरोगा जी इनसे पुछताछ किये थे। इनके पहचान पर आवेदन पर इनके हस्ताक्षर को प्रदर्शः–1 अंकित किया गया। इन्होने ने न्यायालय में उपस्थित मुदालय भीम पासवान को पहचान किया।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त को ये इसलिए पहचानते है क्योंकि वह इनके ग्रामीण हैं। मछली दुकान में बहुत भीड़ थाा और ढकेला–ढकेली हो रहा था जिसमें ये गिर गये। कौन इन्हे ढ़केला था, नहीं देख पाये। थाने में दरोगा जी इनका हस्ताक्षर सादे कागज पर करवाया था, उसमें क्या लिखे थे इसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। अभियुक्त से सूचक का कोई शिकायत नहीं है और मुकदमा खत्म करने में इन्हे कोई आपती नहीं है।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– अनिल चन्द्रबंशी उर्फ अनिल कुमार वर्मा,** ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि इस घटना के विष य में इन्हे कोई जानकारी नहीं है। दरोगा जी इनसे पुछताछ नहीं किये थे।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त भीम पासवान को पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर ये गवाही देने के लिये आये हैं। घटना के बारे में इन्हे आजतक कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त को ग्रामीण होने के नाते पहचानते हैं।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– मनोज चौधरी**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि इस घटना के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न हीं इन्होने कुछ सुना है। दरोगा जी इनसे पुछताछ नहीं किये थे।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त भीम पासवान को पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर ये गवाही देने के लिये आये हैं। घटना के बारे में इन्हे आजतक कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त को ग्रामीण होने के नाते पहचानते हैं।

14. **अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– संजय चौधरी**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि इस घटना के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न हीं इन्होने कुछ सुना है। दरोगा जी इनसे पुछताछ नहीं किये थे।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त भीम पासवान को पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर ये गवाही देने के लिये आये हैं। घटना के बारे में इन्हे आजतक कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त को ग्रामीण होने के नाते पहचानते हैं।

15. **अभियोजन साक्षी संख्या – 5 :– अजीत शर्मा**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि इस घटना के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न हीं इन्होने कुछ सुना है। दरोगा जी इनसे पुछताछ नहीं किये थे।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त भीम पासवान को पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर ये गवाही देने के लिये आये हैं। घटना के बारे में इन्हे आजतक कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त को ग्रामीण होने के नाते पहचानते हैं।

16. उभयपक्षों द्वारा अपने पक्ष में दिये गये साक्ष्यों का सम्पूर्ण एवं सारगर्भित अवलोकन करने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण न्यायिक रूप से अपेक्षित है। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन करते है कि अभियोजन द्वारा अपने मामले को स्थापित करने हेतु कुल 5 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिसमें अभियोजन साक्षी सं0– 1 सह सूचक ने अपने साक्ष्य में घटना का पूर्ण समर्थन किया है और कहा है कि घटना करीब 7 साल पहले समय 5–6 बजे शाम की है। उस दिन मछली भुंजवाने के लिए घर से निकले थे तो अभियुक्त भीम पासवान से टकरा गया था तो हल्का बहस एवं हाथपाई हो गया था परन्तु चोट नहीं लगा और इन्होने सारी बात लिखकर थाने में दिया था और दरोगा जी पुछताछ किये थे। फर्दबयान पर इनके हस्ताक्षर को प्रदर्शः–1 अंकित किया जाता है तथा इन्होने ने अभियुक्त की पहचान न्यायालय के समक्ष किया है। इन्हीं सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्धि करने का निवेदन किया गया।

17. वही दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के प्रस्तुत साक्षी सं0 1 सूचक साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मछली भुंजवाने गये थे तो अभियुक्त भीम पासवान से टकरा गये तो हल्का बहर एवं हाथापाई हो गया था परन्तु इन्हे चोट नहीं लगी थी। इन्होने ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 4 में कहा है कि मछली दुकान में बहुत भीड़ था और ढकेला–ढकेली हो रहा था तो यहे गिर गये परन्तु इन्होने ये नहीं देखा कि इन्हे कौन ढकेला था। इन्होने प्रति परीक्षण के कंडिका 5 में कहा है कि दरोगा जी ने सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये थे और उसमें क्या लिखे इन्हे पढ़कर नहीं सुनाये थे। अभियुक्त से इन्हे कोई शिकायत नहीं है और मुकदमा खत्म करने में इन्हे कोई आपती नहीं है। मुदालय को ग्रामीण होने के नाते पहचानते हैं। साक्षी सं0 2, 3, 4 एवं 5 ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि इस घटना के विषय में इन्हे कोई जानकारी नहीं है। दरोगा जी इनसे पुछातछ नहीं किये थे। अभियोजन के प्रार्थना पर न्यायालय के द्वारा इन सभी साक्षीयों को पक्षद्रोहि घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में कोई भी साक्ष्य अपने पक्ष में लाने में असमर्थ रहा है। प्रति परीक्षण के दौरान इन सभी साक्षीयों ने कहा है कि घटना के बारे में इन्हे आजतक कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा इस वाद में चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही नहीं करायी गयी है। अभियुक्त को ग्रामीण होने के नाते पहचानते हैं। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है कि अभियोजन अभियुक्तगण के संबंध में मामले युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

18. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत न्यायालय यह पाती है की अभियोजन की ओर से पॉच साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी सं0 1 सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण के दौराण प्राथमिकी दर्ज करने

हेतु लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर के पहचान पर प्रदर्शः–1 अंकित कराया है और आगे कहा है कि वे मछली भुंजवाने के लिए मछली दुकान गये थे जहॉ अभियुक्त भीम पासवान से टकरा गया था तो हल्का बहस एवं हाथपाई हो गया था परन्तु चोट नहीं लगी थी। इन्होने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 4 में कहा है कि मछली के दुकान में बहुत भीड़ थी तो ढकेला–ढकेली में ये गिर गये थे। इन्हे कौन ढकेला नहीं देखा। प्रति परीक्षण के कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि इनका हस्ताक्षर सादे कागज पर दरोगा जी ने लिया था और उसमें क्या लिखा था, पढ़कर नहीं सुनाया गया था। इन्हे अभियुक्त से कोई शिकायत नहीं है एवं मुकदमा खत्म कर दिया जाय तो इन्हे कोई आपति नहीं होगी। साक्षी सं0 2, 3, 4 एवं 5 ने अपने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में घटना के बारे में कोई जानकारी न होने की बात बोला है और साथ हीं यह भी कहा है कि दरोगा जी इनसे पुछताछ नहीं किये थे। इन सभी साक्षीयों को अभियोजन के प्रार्थना पर न्यायालय के द्वारा पक्षदोहि घोषित किया गया है परन्तु अभियोजन अपने द्वारा पुछे गये सूचक प्रश्न के उत्तर में भी इन साक्षीयों से अपने पक्ष में कोई भी साक्ष्य लाने में असफल रहा है। इन सभी साक्षीयों ने अपने प्रति परीक्षण में यह भी कहा है कि इन्हे घटना के बारे में आजतक कोई जानकारी नहीं हुयी है। अभियुक्त इनके ग्रामीण हैं इसलिए पहचानते हैं। अभियोजन के द्वारा चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता कि गवाही नहीं करायी गयी है क्योंकि इस मामले के जख्मी सह सूचक सहित कोई भी चछुदर्शी साक्षी ने अभियोजन कथानक के अनुसार घटना का समर्थन नहीं किया है।

अतः इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त भीम पासवान के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा– 307, 506 भा0 द0 वि0 को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में पुरी तरह से असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

19. चूंकि अभियोजन अभियुक्त भीम पासवान के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त भीम पासवान को धारा– 307, 506 भा0 द0 वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त भीम पासवान पूर्व से जमानत पर हैं, अतः उनके जमानतदारों को बन्ध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिलाधिकारी, गया को भेजें एवं नियामानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में निक्षेपित करें।

लेखापित एवं शुद्धीकृत

(निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया)

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया जी।

दिनांक :–29.04.2026

लेखापित

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया जी।

दिनांक :–29.04.2026